

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप-6 ::

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

राजस्थान शिक्षा सेवा (स्कूल शिक्षा) के विभिन्न विषय के व्याख्याताओं का सेवानिवृत्ति आदेश संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा सेवा नियम 1951 के उप नियम-56 के तहत वरिष्ठ अध्यापक पद से सेवानिवृत्त किया गया था, तत्पश्चात कार्मिक व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। प्रपत्र-6 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ. 1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28.12.1998 प.1(6) वित्त/नियम 98 दिनांक 24.05.2004 एवं प.12(6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24.03.2015 के द्वारा संशोधित नियमान्तर्गत जारी कर यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित कार्मिकों -

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	विषय	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5
1	राजेश्वर राय	07.08.1961	समाजशास्त्र	राउमावि. पालड़ी (213969) सिरौही
2	धनराज निनामा	09.06.1961	समाजशास्त्र	राउमावि. सरवनी छोटी सरवन, बांसवाड़ा
3	कैलाश चन्द	01.08.1961	भूगोल	राउमावि. सबलगढ़ बनेठी, मुण्डावर, अलवर

उक्त उल्लेखित व्याख्याता के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि, इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है

*AS*

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृत्ति/2020-21/198  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

दिनांक:- 25/08/2021

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
3. संबंधित जिला शिक्षा (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य.....।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

*AS*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर